



जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 20 संख्या: 12 प्रभात

जालोर, रविवार 20 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में “कोविड मैनेजमेंट” उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि “कोविड मैनेजमेंट” के नाम पर अरबों की लूट मची थी

—यादवेन्द्र शर्मा—

जयपुर, 19 अप्रैल कोविड महामारी से लड़ने और मरीजों को स्वास्थ्य प्राप्त करने के नाम पर एप्लिकेशन द्वालोत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के राजकोष से कई तरह के खर्च किए, परन्तु अब ग्राम दस्तकों से जाहिर होता है कि इन खर्चों में नियम-कायदों और नीतियों का भारी उल्लंघन द्वारा ग्रामीण अधिकारी की सभी सीधार्मांग पार कर दी गई। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान राज्य के विविध मैटिकल कारोबार अस्पतालों में राज्य-राष्ट्रीय आपादा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ., एन.डी.आर.एफ.) से गहरी चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.), बाल गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु गहरी चिकित्सा इकाई (एच.आई.सी.यू., पी.आई.सी.यू.) के लिए अस्पतालों में राज्य-राष्ट्रीय टर्नेको निर्माण करने के आदेश दिये।

- यह लूट इनसे सुनियोजित तरीके से हुई कि, “राष्ट्रदूत इफ्कार्मेंशन” (सूचना का अधिकार) के दफतरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।
- पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपादा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शित अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपादा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।
- इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपादा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2020 को सरकार ने राज्य-राष्ट्रीय आपादा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपए का व्यय एस.डी.आर.एफ. के फंड से किया गया, जबकि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपये की मरम्मत और गैर स्थाइ ढांचों की मरम्मत के लिये खर्च कर

सकती है। पाठकों को बता दें कि अधिनियम, भी निलंबित हो जाते हैं, प्राकृतिक आपादा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, भारी अवहेलना करते हुए एस.डी.आर.एफ. के फंड से उपयोग के लिए जारी करना लोकों के लिये अस्पतालों में आई.सी.यू. से स्थायी राज्यस्थान लोक उपयोग से जुड़े होने की विवरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान सरकार
आपादा प्रबन्धन, सहायता एवं सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
पत्रक्रम - एफ.एस(10) अप्रैल साल / आप्र./2024 / जयपुर, दिनांक: As per E-signing

प्रधान महालेखालय,
लेखा पर्चाई-1,
राजस्थान, जयपुर।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

प्रधान राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार्य व्यय की राजी लागत।
प्रशंसन- AAO/FP-64 का ई-निर्माण 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) का क्रम।

विषय- राज्य आपादा निधि से गैर अनुमत गतिविहीन टर्नीकी आपाद पर NICU निर्माण एवं अनिवार्य व्यय की लागत लागू होने के बाद समावृत्त में पारी गयी अनिवार